

# संसदीय समाचार

भाग - 2

सं. 61170-61173]

बुधवार, 27 अक्टूबर, 2021

सं. 61170

समिति समन्वय अनुभाग

## विभाग-संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा विषयों का चयन (2021-22)

विभाग संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2021-22 के दौरान जांच के लिए निम्नलिखित विषयों का चयन किया है:-

### 1. ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)

1. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)।
2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)।
3. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)।
4. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत 'मेक इन इंडिया' की परिकल्पना को साकार करना।
5. लेखापरीक्षा के प्रावधान के प्रभावी उपयोग के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी - एक समग्र समीक्षा।
6. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का गांवों में गरीब और निराश्रितों पर प्रभाव।
7. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का आलोचनात्मक मूल्यांकन।

8. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन की समीक्षा।
  9. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत आदर्श ग्रामों का निर्माण।
  10. ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेशन में बैंकों की भूमिका।
  11. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि की स्थिति और उपयोग।
- II. ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग)**
12. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) का कार्यान्वयन।
- III. पंचायती राज मंत्रालय**
13. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)।
  14. ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण।
  15. स्वामित्व (ग्राम आबादी का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) योजना।

सं. 61171

समिति समन्वय अनुभाग

विभाग-संबंधित श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा

विषयों का चयन (2021-22)

विभाग-संबंधित श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2021-22 के दौरान जांच के लिए निम्नलिखित विषयों का चयन किया है:-

## (I) श्रम और रोजगार मंत्रालय

1. खान कामगारों के काम करने की स्थिति और कल्याण, और खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के कामकाज का आकलन।
2. सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्रतिष्ठानों में संविदा कर्मियों के कल्याण से संबंधित श्रम कानूनों की संविदा नियुक्ति/तैनाती और कार्यान्वयन।
3. बागान श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों का कार्यान्वयन।
4. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कार्यप्रणाली ईपीएफ पेंशन योजना के संचालन के विशेष संदर्भ में।
5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम - ईएसआई योजना के तहत प्रयोज्यता और लाभ, ईएसआई अस्पतालों का कामकाज और कॉर्पस फंड का प्रबंधन।
6. केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यकरण।
7. केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन।
8. बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति - एक आकलन।
9. बंधुआ मजदूरी की पहचान और पुनर्वास।
10. अनुसूचित रोजगार क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का कार्यान्वयन।
11. असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के उपाय जिनमें योजना कार्यकर्ता, स्ट्रीट वेंडर, मछुआरे और आईटी और दूरसंचार क्षेत्रों जैसे बीपीओ/कॉल सेंटर में कामगार शामिल हैं।
12. विशेष रूप से मध्य पूर्व क्षेत्र में विदेशी ठेका श्रमिकों और रिटर्न करने वालों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय और उपाय।

## (II) वस्त्र मंत्रालय

1. जूट उद्योग का विकास और संवर्धन।

2. वस्त्र क्षेत्र में विनिर्माण और उन्नयन की तुलना में कौशल विकास।
3. वस्त्र मंत्रालय की कल्याण योजनाएं - एक मूल्यांकन।
4. भारतीय वस्त्र उद्योग में चुनौतियां/अवसर।
5. कपास क्षेत्र का विकास।
6. रेशम उद्योग के विकास और संवर्धन के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की योजनाएं/कार्यक्रम।
7. हथकरघा क्षेत्र की स्थिति/प्रदर्शन।
8. पावरलूम क्षेत्र की स्थिति और सुधार।
9. हथकरघा और हस्तशिल्प की विपणन एजेंसियों का प्रदर्शन।
10. मानव निर्मित रेशे का विकास।
11. राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की कार्यप्रणाली।

### **(III) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय**

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन।
2. राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा - एक आकलन।
3. प्रशिक्षण महानिदेशालय की कार्यप्रणाली।
4. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की कार्यप्रणाली।
5. राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) का कार्यान्वयन।
6. आजीविका संवर्धन (संकल्प) परियोजना के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता का कार्यान्वयन।

**विभाग-संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा विषयों का चयन (2021-22)**

विभाग संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2021-22 के दौरान विस्तृत परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषयों का चयन किया है:-

**1. कोयला मंत्रालय**

- (i) भूमि अधिग्रहण और कोयला/लिग्नाइट खनन क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्वास के मुद्दे;
- (ii) कोयला क्षेत्र में अनुसंधान और विकास;
- (iii) भारत के ऊर्जा मिश्रण में कोयले का भविष्य;
- (iv) कोयला खान कामगार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा;
- (v) कोयला खानों में सुरक्षा;
- (vi) कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन - प्रक्षेपण और योजना;
- (vii) कोयला/लिग्नाइट क्षेत्र में कौशल विकास;
- (viii) कोयला नियंत्रक कार्यालय का प्रदर्शन;
- (ix) देश में अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और सतर्कता गतिविधियों का कार्यान्वयन;
- (x) कोयला/लिग्नाइट कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन;
- (xi) कोयले का आयात - रुझान और आत्मनिर्भरता का मुद्दा; तथा
- (xii) पत्तनों पर कोयला सम्भलाई अवसंरचना।

**2. खान मंत्रालय**

- (i) उत्तर-पूर्वी राज्यों में खनिज अन्वेषण गतिविधियां और क्षेत्र के विकास पर इसका समग्र प्रभाव;
- (ii) देश में एल्युमिनियम और कॉपर उद्योगों का विकास;
- (iii) देश में लौह अयस्क, मैंगनीज और बॉक्साइट के अवैध खनन को रोकने के उपाय;
- (iv) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की संगठनात्मक संरचना और प्रदर्शन - एक समीक्षा;
- (v) भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) की संगठनात्मक संरचना और प्रदर्शन - एक समीक्षा;
- (vi) खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी प्रक्रिया को तेज और सरल बनाना;
- (vii) खनन गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण के कारण प्रदूषण को कम करने के उपाय; और
- (viii) खनिजों और धातुओं में आत्मनिर्भरता।

### **3. इस्पात मंत्रालय**

- (i) इस्पात नीति की समीक्षा और इस्पात क्षेत्र के विकास पर इसके प्रभाव;
- (ii) माध्यमिक इस्पात क्षेत्र की सहायता करने वाले प्रमुख नीतिगत परिवर्तन;
- (iii) इस्पात संयंत्रों द्वारा ऊर्जा दक्षता का प्रबंधन और लौह अयस्क खनन से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे;
- (iv) देश में मैंगनीज अयस्क उद्योग का विकास;
- (v) इस्पात क्षेत्र में कौशल विकास;
- (vi) इस्पात उपयोग को बढ़ावा देना;
- (vii) स्टील पीएसयू की ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की स्थिति; और

(viii) पत्तनों पर लौह अयस्क सम्भलाई अवसंरचना।

सं. 61173

सम्मेलन और नयाचार अनुभाग

### सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए **रविवार, 31 अक्टूबर, 2021** को मध्याह्न पूर्व 10.30 बजे **केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन** में एक समारोह आयोजित किया जायेगा। इस अवसर पर प्रतिष्ठित व्यक्ति, संसद सदस्य और अन्य आमंत्रित व्यक्ति पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।

सदस्यगण इसमें शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित हैं।

पी. पी. के. रामाचार्यलु,  
महासचिव।